उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1531/एक–9–2021–111(ले0सं0)/2013-टी.सी.-5
लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2022

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नये नियम–3(ण) का बढ़ाया जाना

2– उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली, 2006, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 3 में, विद्यमान उप नियम 3(ढ़) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

3(ण) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ से है।

नियम–4 का संशोधन

3– उक्त नियमावली में, नियम 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ – 1
विद्यमान उप नियम

4– **(2)** जब तक कि उप नियम(1)के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:–

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
लेखपाल	27,237	–	27,237

स्तम्भ – 2
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

4– **(दो)** जब तक कि उप नियम(1)के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाएं,सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:–

पद का नाम	पदों की संख्या
लेखपाल	30837

नियम–5 का प्रतिस्थापन

4– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

Scanned with CamScanner

स्तम्भ – 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ – 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
5– सेवा में किसी पद पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी	5– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी।

नियम–15 का प्रतिस्थापन

5– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ – 1 विद्यमान नियम		स्तम्भ – 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
15(1) भर्ती के प्रयोजन के लिये परिषद् एक चयन समिति गठित करेगी जिसमें निम्न लिखित होंगे:–		15– सेवा में लेखपाल के पद पर सीधी भर्ती, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 'समूह–ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015 के अनुसार की जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा सौ अंक (100 अंक) की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, गणित सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास के प्रश्न सम्मिलित होंगे।
(एक) एक अधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी की श्रेणी से नीचे का न हो।	अध्यक्ष	
(दो) यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचति जनजातियों से संबंधित नहीं है तो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का ना हो, यदि अध्यक्ष, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सबंधित है तो परिषद द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछडे वर्गों से भिन्न, नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।	सदस्य	
(तीन) यदि अध्यक्ष, अन्य पिछडे वर्गो से संबंधित नहीं है तो अन्य पिछडे वर्गो से संबंधित एक अधिकारी, जो अपर जिला मजिस्टेट्र की श्रेणी से नीचे का न हो।यदि अध्यक्ष पिछडे वर्गो से संबंधित है तो परिषद द्वारा अन्य पिछडे वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी।	सदस्य	
(2) भरी जाने वाली लेखपालों की रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर परिषद् प्रशासनिक आवश्यकतानुसार मण्डल स्तर पर किसी अन्य इकाई के स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा कराने का विनिश्चय करेगी। आवेदन पत्रों		

Scanned with CamScanner

को कलेक्टर द्वारा अपने जिले में आमंत्रित किया जाएगा।

(3) कलेक्टर आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से, प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा।

(4) अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र जिसमें अनिवार्य रूप से उनकी पासपोर्ट साइज फोटो की एक प्रति चिपकी होगी, प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट या उसके समतुल्य कोई परीक्षा के अंक तालिका की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न करना भी आवश्यक होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बन्धित ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये रिक्तियों आरक्षित हैं, के लिये यह आवश्यक होगा कि वे नियम 6 के अधीन ऐसी विशिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध सम्मिलित होने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा फीस के लिये भुगतान इण्डियन पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिले के कलेक्टर को किया जाएगा और फीस की धनराशि का विनिश्चय परिषद् द्वारा किया जाएगा।

(5) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति के पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी। प्रतियोगात्मक परीक्षा में वस्तुनिष्ट प्रकार की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सम्मिलित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा अस्सी अंकों की होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे:–

1–सामान्य हिन्दी–	20अंक
2–गणित–	20अंक
3–सामान्य ज्ञान–	20अंक
4–ग्राम्य समाज एवं विकास–	20अंक
कुलः–	80अंक

साक्षात्कार बीस अंको का होगा।

Scanned with CamScanner

(6) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को सारणीबद्ध किये जाने के पश्चात चयन समिति, नियम–6 के अनुसार अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को, जितनी इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आए हों, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलायेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिये गये अंकों को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको को साथ जोड़ा जायेगा।

(7) चयन समिति, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा उनके द्वारा लिखित परीक्षा, और साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंको के योग से प्रकट हो, जिलावार एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या, अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर–बराबर अंक होने की दशा में, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची मे ऊपर स्थान पर रखा जाएगा। चयन समिति, सूची को सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगी।

नियम–22 का प्रतिस्थापन

6– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ – 1	**स्तम्भ – 2**
विद्यमान नियम	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

Scanned with CamScanner

22–(1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान 3050–75–3950–80–4590 रूपया है।

22– (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारंभ के समय वेतनमान, मूल वेतन 21700–69100 पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 03 के अनुसार होगा।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

अधिसूचना सं0–1531/एक–9–2021–111(ले0सं0)/2013–टी0सी0–5, दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2022 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2)आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0, लखनऊ।

(3)समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

(4)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(5)सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

(6)सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7)निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0।

(8)संयुक्त निदेशक, राजकीय प्रेस शाखा, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आसाधारण गजट, के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड क, सामान्य परिनियम नियम, दिनांक 18.08.2022 के अंक में प्रकाशित कराते हुए 600 मुद्रित प्रतियाँ राजस्व अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(9)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-1531/One-9-2021-111(L.S.)/2013, dated 18.august 2022

Government of Uttar Pradesh
Revenue Section-9
Number-1531/One-9-2021-111(L.S.)/2013-T.C.-5
Lucknow, Dated 18 august, 2022.

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006.

THE UTTAR PRADESH LEKHPALS SERVICE (FOURTH AMMENDMENT) RULES, 2022

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Lekhpals Service (Fourth Amendment) Rules, 2022 (2)They shall come into force at once.
Insertion of new rule- 3(o)	2. In the Uttar Pradesh Lekhpals Service Rules, 2006, hereinafter referred to as the said rules, In rule-3, for existing sub-rule after 3(n) the following rule shall be inserted , namely:- 3(o) 'Commission' means the Uttar Pradesh Subordinated Service Selection Commission, Lucknow.
Amendment of rule-4	3. In the said rules, in rule 4, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Scanned with CamScanner

Column-1 Existing Sub-Rule	Column-2 Sub-Rule as hereby substituted
4. (ii) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below:	4. (ii) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given below:

Name of post	Number of Posts		
	Permanent	Temporary	Total
Lekhpal	27,237	-	27,237

Name of post	Number of Posts
Lekhpal	30,837

Substition of rule-5

4. In the said rules, for existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby substituted
5. Recruitment to a post in the service shall be made by direct recruitments.	5. Direct Recruitment to a Post in the service shall be made through the Commission.

Substition of rule-15

5. In the said rules, for existing rule 15 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby substituted
15. (1) For the purpose of recruitment the Board shall constitute a Selection Committee comprising : (i) An officer not below the rank of Appointing Authority. Chairman	15. Direct recruitment to the post of Lekhpal in the service shall be made in accordance with the Uttar Pradesh Direct Recruitment to Group 'C' Posts (Made and Procedure) Rules, 2015 as amended from time to

Scanned with CamScanner

(ii) An officer not below the rank of Appointing Authority belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if the Chairman does not belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if the Chairman does not belong to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, an officer other than belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes shall be nominated by the Board.	Member	time. In competitive examination Objective written test will be of 100 marks which will include questions from General Hindi, Mathematics, General Knowledge and Rural Society and Development.

Scanned with CamScanner

(2) On receiving the number of vacancies of Lekhpals to be filled, the Board shall decide to hold the competitive examination at the Divisional level or any other unit as per the administrative exigencies. The applications shall be invited by the Collector in his district.

(3) The Collector shall scrutinize the applications and require the eligible candidates to appear in a competitive examination.

(4) The application will be submitted by the candidate in the prescribed form, in which a copy of his passport size photograph will be affixed compulsorily. It will *also* be necessary to enclose with the application self attested copies of mark sheets of High School and Intermediate or an equivalent examination. For candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories for whom vacancies are reserved, it will be necessary to attach a certificate given by the competent Authority for appearing against the reserved vacancies for such special category under rule 6. The examination fee for the candidates will be payable to the Collector of the district through the Indian Postal Order or Bank Draft and the amount of fee shall be

Scanned with CamScanner

decided by the Board.

(5) The competitive examination shall be conducted under the supervision of the Selection Committee. The competitive examinatior, shall include an objective type written examination and an interview. The objective type written examination shall carry eighty marks, which will include questions on the following subjects :

(i) General Hindi- Marks	20
(ii) Mathematics- Marks	20
(iii) General knowledge- Marks	20
(iv) Rural Society and Development- Marks	20
Total- Marks	80

The interview shall carry twenty marks.

(6) After the marks obtained by the candidates in the written examination have been tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up

Scanned with CamScanner

to the standard fixed by the Selection Committee in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

(7) The Selection Committee shall prepare a district wise list of candidates in order of merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by them in the written examination and interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher. If two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Selection Committee shall forward the list to the respective appointing authority/ authorities.

Substition of rule-22

6. In the said rules, for existing rule 22 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in service shall be such as may be determined by the Government from time to time.	22. (1) The scale of pay admissible to persons appointed to a post in service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

Scanned with CamScanner

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules is Rs. 3050-75-3950-80-4590.	(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules as per revised Pay Matrix level 03 at basic pay 21700-69100.

By order,

(Sudhir garg)
Principal Secretary.

Scanned with CamScanner